**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)**

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव ( आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र नम्बरः– 10 / 2025

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार(राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रार्थी**

**बनाम्**

1. ताराचन्द पुत्र सुरजाराम हि0 2289 / 3301 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार।
2. मीरा पत्नी ताराचन्द हि0 1012 / 3301 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. **राजपेरोकार**
2. नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी

**निर्णय** दिनांकः 25/05/26

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रौही मौजा कोलासर प०ह० खुईयां के खाता संख्या 17 के सम्पूर्ण रकबा 6.6020 है० भूनि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के सयुंक्त दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से अवैध रूप से पेड़ कटाने की रिपोर्ट उपतहसीलदार खुईयां द्वारा प्राप्त हुआ।

उपतहसीलदार खुईयां द्वारा रिपोर्ट (मय फर्द मौका) दिनांक 04.03.2025 को पेश किया जिसके अनुसार रोही मौजा कोलासर प०ह० खुईयां के खाता संख्या 66 के खसरा नम्बर 48 रकबा 6.8290 हैक्टेयर व खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 118 / 48 रकबा 1.5180 हैक्टेयर में श्री रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल पि० धर्माराम, श्री शिशराम, रामुराम, मदनलाल, सहीराम पि० सुगनाराम जाति मेघवाल साकिन कोलासर नोहर द्वारा उक्त दोनों खसरों में 14 खेजड़ी का वृक्ष उखाड़े गये। इस प्रकार 14 हरे खेजड़ी वृक्ष बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेश के काटना पाया गया हैं। उक्त वृक्षों को रामेश्वर पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल साकिन कोलासर को सुपुर्दगी में दिया गया है। सुपुर्दगीकार को पेड़ खुर्द बुर्द न हो इसकी हिदायत दी गई। उक्त हरे वृक्ष हटाने सम्बधी कोई स्वीकृति / आज्ञा अप्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं की है। हरे वृक्ष को बिना स्वीकृति के हटाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक (प्रतिबन्ध) लगाई हुई है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के स्वयं की खातेदारी भूमि से हरे वृक्ष काटने पर विरूद्ध भारी से भारी जुर्माना एंव मौके पर पड़े उक्त पेड़ो की निलामी की कार्यवाही के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 2 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया की अप्रार्थी स0 1 ता 2 द्वारा कोई पेड़ नही काटे गये है जबकि उक्त पेड़ रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल पि०

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

धर्माराम, श्री शिशराम, रामुराम, मदनलाल, सहीराम पि० सुगनाराम जाति मेघवाल साकिन कोलासर द्वारा काटे गये है। अप्रार्थी स0 1 ता 2 द्वारा अवैध पेड़ कटाई बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गयाथा था। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल पि० धर्माराम, श्री शिशराम, रामुराम, मदनलाल, सहीराम पि० सुगनाराम जाति मेघवाल द्वारा हरे पेड़ काटे गये है के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का गहराई से अध्ययन किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी स0 1 द्वारा उपतहसीलदार खुईयां द्वारा रिपोर्ट (मय फर्द मौका) दिनांक 04.03.2025 को पेश किया जिसके अनुसार रोही मौजा कोलासर प०ह० खुईयां के खाता संख्या 66 के खसरा नम्बर 48 रकबा 6.8290 हैक्टेयर व खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 118/48 रकबा 1.5180 हैक्टेयर में श्री रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल पि० धर्माराम, श्री शिशराम, रामुराम, मदनलाल, सहीराम पि० सुगनाराम जाति मेघवाल साकिन कोलासर नोहर द्वारा उक्त दोनों खसरों में 14 खेजड़ी का वृक्ष उखाड़े गये। इस प्रकार 14 हरे खेजड़ी वृक्ष बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेश के काटना पाया गया हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के उल्लंघन कारित करने पर रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल पि० धर्माराम, श्री शिशराम, रामुराम, मदनलाल, सहीराम पि० सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर को 100/– (अखरे एक सौ रूपये मात्र) प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अध्यारोपित की जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त 14 पेड़ की राशि 1400/– (अखरे एक हजार चार सौ रूपयें मात्र) राजकोष में जमा करवावें एवं उक्त पेड़ों की एवज में दुगुने पेड़ अर्थात 28 पेड़ खेजड़ी/शीशम के लगाने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को पाबन्द किया जाता है कि बगैर अनुमति से काटे गये खेजड़ी व अन्य पेड़ों की जब्तशुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें व उक्त समस्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर मय रसीद आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 25/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नेहर